

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- श्री जगदीश प्रसाद बैरवा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-05/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमति प्रीता मोन्सी कुरियन पत्नि श्री मोन्सी कुरियन, उम्र बालिग निवासी 352-रमा विहार  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादिया

बनाम

1-श्री सिद्धार्थ पिता श्री चन्द जैन, उम्र बालिग निवासी डी-14, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-10,

हाल निवासी जैन मारमों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एन.एच.-8, सुखेर-उदयपुर (राजस्थान)

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----प्रतिवादीगण

वादिया की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्य  
1 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 25.6  
2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है वि  
और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्च लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि  
आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वार  
राशि - को दी जायें।

न्याय हित प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया का वाद पत्र रवीका  
किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की जारी क  
जाती है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित  
निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व  
रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि वादिया एवं प्रतिवादी  
संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्रीमति प्रीता मोन्सी कुरियन पत्नि श्री मोन्सी कुरियन, उम्र बालिग निवासी 352-रम  
वेहार, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादिया के नाम निम्न भूमि हिस्से  
अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
2802/1	- 10 बिस्वा	1.80
कुल किता 1	रकबा - 10 बिस्वा	लगान 1.80

श्री सिद्धार्थ पिता श्री चन्द जैन, उम्र बालिग निवासी डी-14, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-16,  
हाल निवासी जैन मारमों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एन.एच.-8, सुखेर-उदयपुर (राजस्थान)  
प्रतिवादी सं० 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
2801/1	- 06 बिस्वा	0.66

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा (रा.)

2802/2	-	07 बिस्वा	1.26
कुल किता 2 रकबा	-	13 बिस्वा लगान	1.92

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(जगदीश प्रसाद बैरवा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 25.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से

जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा